

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2023—फाल्गुन 26, शक 1944

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2023

क्र. 558-मप्रविनिआ-2023.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (1) सहपठित धारा 9 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा आबद्ध (केप्टिव) उपयोगकर्ताओं के सत्यापन हेतु निम्न विनियम बनाता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 {जी-45, वर्ष 2023}

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

- 1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023{जी-45, वर्ष 2023}" कहलायेंगे।
- 1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

2. उद्देश्य

इन विनियमों का उद्देश्य आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों (Captive generating Plants) तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं (Captive users) की अद्यतन स्थिति के सत्यापन की क्रियाविधि को निर्दिष्ट करना है जब उपभोक्ता राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्थित अपने आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों से विद्युत का आयात करते हैं तथा, जब या तो आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र अथवा आबद्ध उपयोगकर्ता पालन की जाने वाली शर्तों की पूर्ति नहीं करते, ऐसी स्थिति के परिणामों को निर्दिष्ट करना है।

3. विस्तार तथा लागू किया जाना (Scope and Extent of Application)

- 3.1 ये विनियम समस्त आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों (Captive Generating Plants-CGP) तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं (Captive Users) को लागू होंगे।
- 3.2 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

4. परिभाषाएं

- 4.1 इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003;
- (ख) "आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र (Captive Generating Plant-CGP)" से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन संयंत्र जैसा कि इसे

अधिनियम सहपठित विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 में परिभाषित किया गया है ;

- (ग) "आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive User)" से अभिप्रेत है स्वयं के आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र से उत्पादित विद्युत का अन्तिम उपयोगकर्ता तथा पारिभाषिक शब्द "आबद्ध उपयोग (Captive use)" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
- (घ) "पदांकित प्राधिकारी (Designated Authority)" से अभिप्रेत इन विनियमों के अधीन आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा अधिकृत प्राधिकारी;
- (ङ) "वितरण अनुज्ञापिधारी (Distribution Licensee)" से अभिप्रेत है एक अनुज्ञापिधारी जो अपने प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति हेतु किसी वितरण प्रणाली का संचालन तथा संधारण करने हेतु प्राधिकृत है ;
- (च) "विद्युत नियम, 2005 (Electricity Rules, 2005)" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार के आदेश क्रमांक GSR 379 (E) दिनांक जून, 2005 द्वारा समय-समय पर अधिसूचित यथासंशोधित नियम ;
- (छ) "क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (Regional Load Despatch Centre)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र ;
- (ज) "राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Despatch Centre)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र ; और
- (झ) "वर्ष" से अभिप्रेत है दिनांक प्रथम अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष।

4.2 इन विनियमों में प्रयोग किये गये शब्द तथा अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम तथा विद्युत नियम, 2005 या राज्य आयोग के अन्य किन्हीं विनियमों में परिभाषित किया हो, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वहीं अर्थ रखेंगे जैसा कि इनके लिये, यथास्थिति, अधिनियम या विद्युत नियम, 2005 या राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य किन्हीं विनियमों में इनके लिये समनुदेशित किया गया है।

5. "पदांकित प्राधिकारी (Designated Authority)"

- 5.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन विद्युत उत्पादन संयंत्र (generating plant) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की आबद्ध अवस्था (status) के अवधारण हेतु पदांकित प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में एक पृथक आदेश जारी किया जाएगा।
- 5.2 यदि पदांकित प्राधिकारी द्वारा आबद्ध अवस्था (Status) के सत्यापन के प्रयोजन हेतु इन विनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वांछित आंकड़े (data) तथा अभिलेख प्राप्त नहीं किये जाते हों तो वह उपलब्ध आंकड़ों या अभिलेखों के उपयोग द्वारा, यदि कोई हों, संयंत्र की अवस्था का अवधारण करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- 5.3 पदांकित प्राधिकारी आबद्ध अवस्था के संबंध में शर्त की पूर्ति हेतु या फिर अन्यथा, आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र (CGP)/आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आगामी वर्ष की 15 जुलाई तक सूचित करेगा।

6. आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र की अवस्था का सत्यापन (Verification of Status of CGP)

- 6.1 विद्युत खपत तथा इक्विटी शेयर धारण के मापदण्ड के बारे में आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र (CGP) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की अवस्था (Status) का प्रमाणीकरण, जैसा कि इसे विद्युत नियम, 2005 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, वर्ष के अन्त में प्रति वर्ष पदांकित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- 6.2 आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र (CGP) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive user) द्वारा पदांकित प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र (format) में पूर्व वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन, इकाई-वार खपत तथा इक्विटी शेयर धारण के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करते हुए शपथ पत्र (affidavit) प्रति वर्ष अधिकतम 15 मई तक दाखिल किया जाएगा।
- 6.3 ऐसे आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र (CGP) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के प्राप्त होने पर पदांकित अधिकारी द्वारा आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र (CGP) या आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive user) की श्रेणी के सत्यापन हेतु संबद्ध क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC), राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC), वितरण अनुज्ञप्तिधारी (जिसके कार्यक्षेत्र में आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र या आबद्ध उपयोगकर्ता अवस्थित है) की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

6.4 विद्युत खपत मापदण्ड का सत्यापन (Verification of Consumption Criteria)

- क) विद्युत खपत के मापदण्ड का सत्यापन किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र में आबद्ध उपयोग हेतु चिन्हांकित की गई विद्युत उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादित शुद्ध विद्युत के आधार पर, अर्थात् सकल उत्पादित विद्युत में से सहायक खपत, घटाकर किया जाएगा।
- ख) शुद्ध विद्युत का अवधारण वार्षिक आधार पर वर्ष के अन्त में किया जाएगा।
- ग) विभिन्न प्रकार के आबद्ध उपयोगकर्ताओं (Captive users) के सत्यापन मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :

सरल क्रमांक	आबद्ध उपयोगकर्ता का प्रकार	मापदण्ड
एक.	एकल आबद्ध उपयोगकर्ता (Single Captive User)	आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की खपत विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध विद्युत के 51% से कम न होगी
दो.	साझेदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी (Partnership firm/Limited Liability Partnership)	आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की खपत विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध विद्युत के 51% से कम न होगी
तीन.	व्यक्तियों का संघ (Association of Persons-AoP)	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) में उनके शेयर के अनुपात में, 10% से अनाधिक घटत-बढ़त (variation) के अधीन, आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की विद्युत खपत आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध विद्युत के 51% से कम न होगी।
चार.	सहकारी समिति (Cooperative Society)	आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) सामूहिक रूप से आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा उत्पादित शुद्ध विद्युत के कम से कम 51% भाग की खपत वार्षिक आधार पर करेगा।
पांच.	कम्पनी/साझेदारी फर्म/	आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user)

सीमित दायित्व भागीदारी / व्यक्तियों के संघ द्वारा गठित विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle) द्वारा आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) स्थापना के आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users)	की खपत विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध विद्युत के 51% से कम न होगी
---	---

घ) आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) से उत्पादन तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive user) द्वारा खपत से संबंधित आंकड़ों के आकलन की विधि :

सरल क्रमांक	अवस्थिति (Location)	आकलन की विधि (Method of Assesment)
एक.	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा इसके आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) परस्पर अवस्थित (co-located) है	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) से शुद्ध उत्पादन तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive user) द्वारा खपत पर आधारित जो विद्युत उत्पादन पक्ष (Generation Side) पर विद्युत उत्पादन के अभिलेखन हेतु स्थापित मापयन्त्र (मीटर) के वाचन तथा खपत पक्ष पर स्थापित मापयन्त्र में अभिलेखित खपत पर आधारित होगा।
दो.	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा इसके आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) राज्य के भीतर अवस्थित है {परन्तु परस्पर अवस्थित (Colocated) नहीं हैं}	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) से शुद्ध उत्पादन पर आधारित, जिस हेतु आकड़े राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जिसके अनुसार आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) के अनुसूचित ऊर्जा से तत्संबंधी खपत अथवा वास्तविक खपत (actual consumption) इनमें से जो भी कम हो, अपनाई जाएगी, जो उत्पादन पक्ष पर (उत्पादन मापयन्त्र) तथा खपत पक्ष पर (खपत मापयन्त्र) के अभिलेखन हेतु मापयन्त्र के वाचन पर आधारित होगी
तीन.	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा इसका/इसके आबद्ध उपयोगकर्ता (captive	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) से शुद्ध विद्युत उत्पादन पर आधारित, जिस हेतु आंकड़े

users) विभिन्न राज्यों में अवस्थित हैं	तत्संबंधी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जिसके अनुसार अनुसूचित ऊर्जा से तत्संबंधी खपत अथवा वास्तविक खपत (actual consumption) इनमें जो भी कम हो, अपनाई जाएगी, जो खपत पक्ष पर (खपत मापयंत्र) पर अभिलेखित खपत पर आधारित होगी जिसे संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान किया जाएगा जिसके/जिनके क्षेत्र में उपयोगकर्ता अवस्थित है/हैं।
--	---

6.5 इक्विटी शेयर धारण मापदण्ड का सत्यापन (Verification of equity share holding criterion)

विभिन्न प्रकार के आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों (CGP) के सत्यापन मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :

सरल क्रमांक	आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive User) का प्रकार	मापदण्ड (criteria)	सहायक अभिलेख (Support Document)
एक	एकल आबद्ध उपयोगकर्ता (Single Captive User)	उपयोगकर्ता को सम्पूर्ण वर्ष के दौरान, मतदान अधिकारों (Voting rights) का धारण करते हुए न्यूनतम 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी धारित करनी होगी।	पंजीकृत सनदी लेखापाल (Registered Chartered Accountant) जो कम्पनी का वार्षिक वित्तीय वितरण पत्र (Annual Financial Statement) हस्ताक्षर करता हो /कम्पनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र
दो	साझेदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी (Partnership firm/ LLP)	आबद्ध संयन्त्र (Captive Plant) में न्यूनतम 26 प्रतिशत स्वामित्व हित तथा सम्पूर्ण वर्ष के दौरान, वार्षिक आधार पर विद्युत उत्पादन केन्द्र या विद्युत संयन्त्र पर नियंत्रण धारित करना होगा	फर्म के पंजीकृत सनदी लेखापाल (Registered Chartered Accountant) जो फर्म का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (Annual Financial Statement) हस्ताक्षर करता हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र

तीन	व्यक्तियों का संघ (AoP)	आबद्ध उपयोगकर्ताओं को सम्पूर्ण वर्ष के दौरान मतदान अधिकारों (Voting rights) का धारण करते हुए न्यूनतम 26 प्रतिशत स्वामित्व (ownership)/प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (paidup equity share capital) सामूहिक रूप से धारित करनी होगी।	पंजीकृत सनदी लेखापाल जो कम्पनी का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (Annual Financial Statement) हस्ताक्षर करता हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र
चार	सहकारी समिति (Cooperative Society)	समिति के सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर न्यूनतम 26% सामूहिक स्वामित्व धारित किये जाने की शर्त की तुष्टि की जाएगी	सहकारी समिति के जिला पंजीयक/सनदी लेखापाल जो समिति का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र हस्ताक्षर करताहो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र
पांच	कम्पनी/साझेदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी (LLP) फर्म/व्यक्तियों के संघ द्वारा गठित विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle) द्वारा आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) स्थापना के आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users)	आबद्ध उपयोगकर्ता को सम्पूर्ण वर्ष के दौरान मतदान अधिकारों (Voting rights) के साथ आबद्ध उपयोग हेतु चिन्हांकित इकाईयों के संबंध में {अर्थात् विद्युत उत्पादन इकाई या आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) के रूप में चिन्हांकित से संबंधित कम्पनी की इक्विटी का अनुपात} प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का आनुपातिक न्यूनतम 26% भाग सामूहिक रूप से धारित करना होगा।	उपरोक्त (एक) से (चार) के अनुसार इस बात पर निर्भर कि विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) कम्पनी/भागीदारी (पार्टनरशिप)/सीमित दायित्व भागीदारी (LLP)/व्यक्तियों का संघ (AoP) है

7. आबद्ध उपयोगकर्ता की अवस्था में विफल पाये जाने के परिणाम (Consequence of failure to meet Captive user Status)

- 7.1 यदि आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र या आबद्ध उपयोगकर्ता समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 में विनिर्दिष्ट स्वामित्व तथा खपत का मापदण्ड प्राप्त करने में विफल रहता हो तो वर्ष के अन्त में, ऐसे आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) या आबद्ध उपयोगकर्ता को उक्त वर्ष की आबद्ध अवस्था से वंचित होना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप ऐसी इकाई पर प्रत्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Surcharge) तथा अतिरिक्त अधिभार, (Additional Surcharge) तथा ऐसे अन्य प्रभार जो खुली पहुंच उपभोक्ता(ओं) को लागू होते हैं, का भार वहन करने के साथ-साथ सम्पूर्ण वर्ष के लिये स्वतंत्र विद्युत उत्पादन संयंत्र (non-captive generating plant) को लागू प्रभार भी वहन करने होंगे।
- 7.2 संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, प्रति माह प्रयोज्य प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार संबंधी मांग के साथ-साथ, 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से विलम्बित भुगतान अधिभार संबंधी मांग, उक्त दिनांक से जब ऐसी मांग का भुगतान देय हो, संबंधित के विरुद्ध जारी करने का अधिकार होगा।

8. विस्तृत प्रक्रिया (Detailed Procedure)

- 8.1 आयोग द्वारा विद्युत नियम, 2005 तथा इन विनियमों के प्रावधान के अनुसरण में आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (captive user) की अवस्था के सत्यापन के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया प्रकाशित की जाएगी।

9. विवाद निर्णय की समीक्षा तथा विवाद प्रतितोषण (Dispute Review of Decision & Dispute Resolution)

- 9.1 आयोग एक समिति का गठन करेगा जिसे "आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र श्रेणी विवाद प्रतितोषण समिति (जिसे एतद् पश्चात् "सीजीपी स्टेटस समिति" कहा गया है) कहा जाएगा।
- 9.2 आयोग द्वारा एक पृथक आदेश के माध्यम से सीजीपी स्टेटस समिति के गठन के बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी।
- 9.3 पदांकित अधिकारी के निर्णय से परिवेदित किसी भी आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र या आबद्ध उपयोगकर्ता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी नवीन तथा महत्वपूर्ण सामग्री या साक्ष्य या अन्यथा भी पाये पर, जो यथोचित कर्मठता का प्रयोग किये जाने के बावजूद उसकी जानकारी में नहीं आ पाई हो तथा ऐसे समय पर जब निर्णय पारित किया गया था,

प्रस्तुत न की जा सकी हो या फिर प्रत्यक्ष अभिलेख में भूलवश या किसी त्रुटि के कारण या अन्य किसी पर्याप्त कारण से भी ऐसे पदांकित अधिकारी के निर्णय की समीक्षा हेतु निर्णय की तिथि से तीस (30) दिवस के भीतर सीजीपी स्टेटस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

- 9.4 पदांकित अधिकारी इस तथ्य पर निर्भर कि निर्णय की समीक्षा हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है अथवा नहीं, उसके द्वारा ऐसी समीक्षाओं संबंधी अनुरोधों को पुनर्विचार प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर स्वीकार या निरस्त किया जा सकेगा।
- 9.5 पदांकित अधिकारी के निर्णय से परिवेदित, कोई भी आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र या आबद्ध उपयोगकर्ता या वितरण अनुज्ञापतिधारी, यदि पदांकित अधिकारी द्वारा विनियमों के किसी भी प्रावधान या विस्तृत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो, पदांकित अधिकारी के आदेश की दिनांक के 30 दिवस के भीतर अपना प्रस्तुतिकरण सीजीपी स्टेटस समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- 9.6 सीजीपी स्टेटस समिति आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र या आबद्ध उपयोगकर्ता या वितरण अनुज्ञापतिधारी का आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण का परीक्षण करेगी तथा इसका प्रतितोषण अधिमानतः 45 दिवस के भीतर करने का प्रयास करेगी।
- 9.7 यदि आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र या आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र उपयोगकर्ता या वितरण अनुज्ञापतिधारी सीजीपी स्टेटस समिति के निर्णय से सन्तुष्ट न हों तो वे आयोग के समक्ष ऐसे निर्णय की तिथि से 30 दिवस के भीतर एक याचिका, आदेशार्थ प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे प्रकरण में आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र, आबद्ध उपयोगकर्ता या वितरण अनुज्ञापतिधारी को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 के अनुसार एक याचिका दाखिल करनी होगी।

10. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

इन नियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकेगा जो इन विनियमों अथवा अधिनियम के उपबन्धों के विरोधाभासी न होंगे जैसा कि आयोग को उचित प्रतीत हों तथा कठिनाइयां दूर करने में वांछनीय हो।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का प्रमाणीकरण) विनियम, 2023 के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई

विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पांडा, सचिव.

No. 558/MPERC/2023. In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 181, read with Section 9 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations for verification of captive status of Generating Plants and Captive Users:

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (VERIFICATION OF CAPTIVE GENERATING PLANTS AND CAPTIVE USERS) REGULATIONS, 2023.

(G-45 OF 2023)

1. Short Title and Commencement

1.1 These Regulations shall be called the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Verification of Captive Generating Plants and Captive Users) Regulations, 2023 (G-45 of 2023)**.

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

2. Objective

The objective of these Regulations is to specify the methodology for verification of status of Captive Generating Plants and Captive Users when consumers import power from their Captive Generator located either within the State or outside the State and consequences of not meeting the conditions of either Captive Generator or Captive User.

3. Scope and Extent of Application

3.1 These Regulations shall apply to all the Captive Generating Plants (CGPs) and Captive Users.

3.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

4. Definitions

4.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires; -

- a) "Act" means the Electricity Act, 2003;
- b) "Captive Generating Plant" or "CGP" means a Generating Plant as defined in the Act read with Rule 3 of the Electricity Rules, 2005;
- c) "Captive User" shall mean the end user of the electricity generated from its own

own Captive Generating Plant and the term "Captive Use" shall be construed accordingly;

- d) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- e) "Designated Authority" shall mean an authority authorised by the Commission for verification of captive status of Generating Plants and Users under these Regulations;
- f) "Distribution Licensee" shall mean a licensee authorised to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply;
- g) "Electricity Rules, 2005" means the rules notified by the Central Government vide G.S.R. 379 (E) dated 8th June 2005 and as amended from time to time;
- h) "Regional Load Despatch Centre" or "RLDC" shall mean the Centre established under sub-section (1) of Section 27 of the Act;
- i) "State Load Despatch Center" or "SLDC" shall mean the centre established under sub-section (1) of Section 31 of the Act;
- j) "Year" means a financial year from 1st April to 31st March.

4.2 Words and expressions used in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or the Electricity Rules, 2005 or any other Regulations specified by the Commission shall, unless the context otherwise requires, have the meanings assigned to them under the Act or the Electricity Rules, 2005 or any other Regulations specified by the Commission, as the case may be.

5. Designated Authority

5.1 The Commission shall issue a separate order regarding Designated Authority to determine the captive status of the Generating Plant and Captive User under these Regulations.

5.2 In case, Designated Authority does not receive requisite data and documents for the purpose of verification of captive status within the time frame specified in these Regulations, it would be free to determine the status of the plant with the available data or documents if any.

5.3 The Designated Authority shall intimate fulfillment of condition in regard to the captive status or otherwise to the CGP /Captive User and the Distribution Licensee by 15th July of next year.

6. Verification of Status of CGP

6.1 Verification of status of CGP and Captive User with respect to the criterion of consumption and equity share holding, as prescribed under the Electricity Rules, 2005 shall be done annually after the end of Year by the Designated Authority.

6.2 The CGP and the Captive User shall file affidavit in specified format before the Designated

Authority giving details regarding their electricity generation, entity-wise consumption and equity share holding during the previous Year latest by 15th May each Year.

6.3 The Designated Authority may take assistance of the concerned Regional Load Despatch Center, State Load Despatch Center, Distribution Licensee (in whose area the CGP or Captive User is located) and any other agency, if required, for verification of captive status of CGP or Captive User on receipt of the affidavit submitted by such CGP and Captive User.

6.4 **Verification of consumption criterion**

- a) Verification of criteria of consumption shall be based on the net electricity generated from the Generating unit in a Generating Station, i.e., gross electricity generated less auxiliary consumption, identified for captive use.
- b) The net electricity generation shall be determined on annual basis at the end of the Year.
- c) Verification criterion for various types of Captive Users shall be as follows:

Sl. No	Type of Captive User	Criterion
i	Single Captive User	The Captive User shall consume not less than 51% of the net electricity generated by the CGP on annual basis.
ii	Partnership firm /Limited Liability Partnership	The Captive User shall consume not less than 51% of the net electricity generated by the CGP on annual basis
iii	Association of Persons	The Captive User shall consume not less than 51% of the net electricity generated by the CGP on annual basis for captive use in proportion to their share in the CGP within the variation not exceeding 10%
iv	Co-operative Society	The Captive User shall collectively consume not less than 51% of the net electricity generated by the CGP on annual basis
v	Captive User of a CGP setup by a Special Purpose Vehicle formed by Company / Partnership Firm/ Limited Liability Partnership / Association of persons	The Captive User shall consume not less than 51% of the net electricity generated by the CGP on annual basis

- d) Manner of assessment of data related to generation from CGP and consumption by Captive User:

Sl. No	Location	Method of assessment
i	CGP and its Captive User are co-located	Based on net generation from the CGP and consumption by the Captive User which shall be computed on the basis of the reading of the meter installed for recording the generation at the generation side ("generation meter") and consumption at the consumption side ("consumption meter")
ii	CGP and its Captive User are located within the State of Madhya Pradesh (but not co-located),	Based on net generation from the CGP as per the data provided by the State Load Despatch Center and the consumption corresponding to the scheduled energy from the CGP or the actual consumption whichever is lower, based on the reading of the meter installed for recording the generation at the generation side ("generation meter") and consumption at the consumption side ("consumption meter").
iii	The CGP and its Captive User are located in different States	Based on net generation from the CGP as per the data provided by the respective Regional Load Despatch Center and the consumption corresponding to the scheduled energy or the actual consumption whichever is lower, based on the consumption recorded at consumption side ("consumption meter") provided by the concerned Distribution Licensee in whose area the user(s) are located.

6.5 Verification of Equity Share holding Criterion

Verification criterion for various types of CGP shall be as follows:

Sl. No	Type of Captive User	Criterion	Support Document
i	Single Captive User	The User shall hold not less than 26% of the equity share capital	A certificate from the Registered Chartered Accountant who signs the

		having voting rights throughout the Year.	Annual Financial Statement of the Company / Company Secretary.
ii	Partnership Firm/Limited Liability Partnership	Ownership in the Captive Plant shall be with respect to not less than 26% proprietary interest and control over the Generating Station or power plant throughout the Year.	A certificate from the Firms Registered Chartered Accountant who signs the Annual Financial Statement of the Firm.
iii	Association of Persons	The Captive Users shall hold in aggregate not less than 26% of the ownership/paid up equity share capital with voting rights throughout the Year.	A certificate from a Registered Chartered Accountant who signs the Annual Financial Statement
iv	Co-operative Society	Members of Co-operative Society shall collectively satisfy not less than 26% of the ownership throughout the Year.	A certificate from District Registrar of Co-operative Society/ Chartered Accountant who signs the Annual Financial Statement of the Co-operative Society
v	Captive User of a CGP setup by a Special Purpose Vehicle formed by Company/ Partnership Firm/ Limited Liability Partnership / Association of persons	The Captive User shall hold in aggregate not less than 26% of the proportionate paid-up equity share capital with voting rights of the units identified for captive use (i.e., proportionate of the equity of the Company related to the Generating unit or units identified as the CGP) throughout the Year	As in (i) to (iv) above depending upon whether Special Purpose Vehicle is formed by a Company/ Partnership Firm / Limited Liability Partnership / Association of persons

7. Consequence of failure to meet Captive User Status

7.1 If the CGP or Captive User fails to meet the criterion of ownership and consumption, specified in Rule 3 of Electricity Rule 2005, as amended from time to time, by the end of

the Year, such CGP or Captive User shall lose its captive status for that Year only leading to imposition of Cross Subsidy Surcharge and additional surcharge and such other charges as applicable on open access consumer and a non-captive Generating Plant for the entire such Year.

7.2 The concerned Distribution Licensee shall be entitled to raise demand of applicable Cross Subsidy Surcharge and additional surcharge for each month along with delayed payment surcharge @ 1.25 % per month from the date of such demand becoming due.

8. Detailed Procedure

The Commission shall publish a detailed procedure for verification of status of CGP and Captive User in pursuance to the provision of the Electricity Rules, 2005 and these Regulations.

9. Review of decision and dispute resolution

9.1 The Commission shall constitute a Committee, to be known as the 'CGP Status Dispute Resolution Committee' (hereinafter referred to as "CGP Status Committee").

9.2 The Commission shall notify the constitution of CGP Status Committee through a separate order.

9.3 Any CGP or Captive User or Distribution Licensee aggrieved by the decision of the Designated Authority may upon discovery of new and important material or evidence or otherwise, which after exercise of due diligence, was not within his / its knowledge or could not be produced by him / it at the time when the decision was passed or on account of some mistake or error apparent from the face of the record, or for any other sufficient reason, may apply for a review of such decision, within thirty (30) days of the date of the decision of Designated Authority, to the Designated Authority.

9.4 The Designated Authority, depending on whether or not there is sufficient ground for review, shall either accept or reject requests for such reviews within a period of 30 days from the date of receipt of such review application.

9.5 Any CGP or Captive User or Distribution Licensee aggrieved by the decision of the Designated Authority, may represent before the CGP Status Committee within a period of 30 days from the date of order of Designated Authority, if any provisions of Regulation or detailed procedure is not complied by the Designated Authority.

9.6 The CGP Status Committee on receipt of the representation made by CGP or Captive User or Distribution Licensee shall examine and resolve the same preferably within a period of 45 days.

9.7 The CGP or Captive User or Distribution Licensee may file a petition before the Commission if they are not satisfied with the decision of the CGP Status Committee within a period of 30 days of such decision. In this case, the CGP or Captive User or Distribution Licensee shall have to file the petition in accordance with the Madhya

Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2016.

10. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific Order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

By order of Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2023

क्रमांक 599/मप्रविनिआ/2023. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(यघ) सहपठित धारा 45 एवं 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 {आरजी-35(III), वर्ष विनियम, 2021}, जिसे एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 में प्रथम संशोधन {एआरजी-35(III)(i), वर्ष विनियम, 2023}

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

- 1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी-35(III)(i) वर्ष 2023}" कहलायेंगे।
- 1.2 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होंगे।
- 1.3 ये विनियम इन विनियमों की अधिसूचना दिनांक से दिनांक 31 मार्च, 2027 तक प्रभावशील रहेंगे।

2. विनियम 4 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 4 "परिभाषाएं" के अन्तर्गत निम्न परिभाषा अन्तःस्थापित की जाए : -

"(यड)(क) 'ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS))' से अभिप्रेत आयोग द्वारा अनुमोदित आपूर्ति की लागत के संदर्भ में, ईंधन लागत तथा विद्युत क्रय लागत

में परिवर्तन के कारण, उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत की लागत में वृद्धि से है।

3. विनियम 9 में संशोधन

मूल विनियमों में विद्यमान विनियम 9 के स्थान पर निम्न विनियम 9 स्थापित किया जाए :

- “9.1 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS) सूत्र को, अधिनियम की धारा 62(4) के अनुसार विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 9.2 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की, विनियामक अनुमोदन की प्रक्रिया से गुजरे बिना, मासिक आधार पर, आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार, वार्षिक आधार पर सत्यापन (true up) के अध्यक्षीन, स्वतः संगणना की जाएगी और उपभोक्ताओं को देयक प्रेषित किया जाएगा :

परन्तु यह कि इन विनियमों के अनुसार मासिक बिलिंग हेतु स्वचालित अन्तरण (automatic passthrough) को समायोजित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मासिक आधार पर, ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS) की संगणना के सात दिवस के भीतर, आवश्यक विवरण सुसंगत प्रलेखों सहित आयोग को प्रस्तुत करेगा एवं जब आवश्यक होगा, आयोग अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकेगा।

- 9.3 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा n वें माह में प्राप्त की गई विद्युत हेतु ईंधन और विद्युत क्रय की लागत में वास्तविक भिन्नता के आधार पर $(n+2)$ वें माह में संगणना की जाएगी और प्रभारित किया जायेगा। उदाहरण के तौर पर, किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के दौरान प्रदाय की गई विद्युत के लिये विद्युत-दर (टैरिफ) में परिवर्तनों के कारण, ईंधन और विद्युत क्रय अधिभार की संगणना की जाएगी तथा उसी वित्तीय वर्ष के जून माह में देयक प्रेषित किये जाएंगे :

परन्तु यह कि यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी, किसी अप्रत्याशित घटना के मामले के अलावा, निर्धारित समय सीमा के भीतर ईंधन और विद्युत क्रय

समायोजन अधिभार की संगणना करने और प्रभारित करने में विफल रहता है तो उसका ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के कारण वसूली का अधिकार वापस ले लिया जाएगा तथा ऐसे मामलों में सत्यापन (true-up) के दौरान ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वसूली का अधिकार भी वापस ले लिया जाएगा।

- 9.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह निर्णय ले सकेगा कि ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार या उसका एक भाग, उपभोक्ताओं को किसी विद्युत-दर (टैरिफ) आघात से बचाने के लिये अगले माह तक आगे बढ़ाया जाए, परन्तु ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाये जाने की यह अवधि अधिकतम दो माह से अधिक नहीं होगी और इसे तभी आगे बढ़ाया जाएगा, यदि किसी बिलिंग माह के लिये पिछले माह के आगे बढ़ाये गये ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सहित कुल ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार, अनुमोदित विद्युत-दर (टैरिफ) के ऊर्जा प्रभार के बीस प्रतिशत से अधिक हो।
- 9.5 आगे बढ़ाये गये अधिभार को एक वर्ष के भीतर या अगले टैरिफ चक्र से पूर्व, जो भी पहले घटित हो, वसूला जाएगा तथा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के माध्यम से वसूल की गई धनराशि को पहले ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के सबसे पुराने आगे बढ़ाये गये भाग एवं इसके बाद अनुवर्ती माह के विरुद्ध गणना में लिया जायेगा।
- 9.6 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाये जाने के प्रकरण में, भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में एक सौ पचास बेसिस पाइंट जोड़ कर वहनीय लागत की अनुमति प्रदान की जाएगी जब तक कि इसे विद्युत-दर (टैरिफ) के माध्यम से वसूल नहीं लिया जाता तथा इस वहनीय लागत का सत्यापन (true-up) विचाराधीन वर्ष में किया जाएगा।
- 9.7 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की मात्रा के आधार पर, स्वचालित अन्तरण (automatic passthrough) इस प्रकार समायोजित किया जाएगा कि

- (एक) यदि ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार 5% तक है तो संगणित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वसूली योग्य लागत का शतप्रतिशत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूत्र का प्रयोग करते हुए स्वतः उदग्रहण किया जाएगा।
- (दो) यदि ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार 5% से अधिक है तो 5% ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार उपरोक्त उप-विनियम 9.7 (एक) के अनुसार स्वचालित रूप से वसूली योग्य होगा। शेष ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का 90% सूत्र का उपयोग करते हुए स्वचालित रूप से वसूली योग्य होगा तथा आयोग द्वारा सत्यापन (true-up) के बाद अन्तरसंबंधी दावा वसूली योग्य होगा।
- 9.8 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के खाते में वसूले गये राजस्व को, विचाराधीन वर्ष के लिये बाद में सत्यापित किया जाएगा और किसी भी वित्तीय वर्ष के लिये सत्यापन अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
- 9.9 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के निमित्त वर्ष के लिये वसूले गये अधिक राजस्व के प्रकरण में इसे अनुज्ञप्तिधारी से सत्यापन (true-up) के समय वसूला जाएगा, साथ ही इसकी वहनीय लागत आयोग द्वारा अनुमोदित वहनीय लागत दर के 1.2 गुना पर प्रभारित की जाएगी और ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की कम वसूली को सत्यापन के दौरान स्वचालित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार राशि के साथ बिल किये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण :- उदाहरण के लिये जुलाई माह में, मई में प्रदाय की गई विद्युत के लिये स्वचालित अन्तरण (pass through) घटक और पिछले वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह के लिये सत्यापन के पश्चात् वसूली-योग्य, अतिरिक्त ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार यदि कोई हो, को बिल किया जाएगा।

- 9.10 वितरण अनुज्ञप्तिधारी सामान्य विद्युत-दर (टैरिफ) के सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रपत्रों में, किये गये व्यय तथा वसूले गये ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के मध्य भिन्नता के विवरण प्रस्तुत करेगा, और विस्तृत संगणनाएं तथा सहायक प्रलेख, जो कि आयोग द्वारा अपेक्षित होंगे, प्रस्तुत करेगा।
- 9.11 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार क्रियाविधि के सुचारु कार्यान्वयन और इसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी बिलिंग प्रणाली को उक्त को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया गया है और यह सुनिश्चित करने हेतु एक एकीकृत बिलिंग प्रणाली लागू की जाएगी जिसमें भिन्न बिलिंग और मापयन्त्र (मीटरिंग) विक्रेता के बावजूद अन्तर-संचालनीयता (inter operability) या यथा-उपलब्ध निर्बाध-स्रोत सॉफ्टवेयर पर (open source software) के उपयोग के माध्यम से एक समान बिलिंग प्रणाली अस्तित्व में हो।
- 9.12 अनुज्ञप्तिधारी ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सूत्र, मासिक ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना तथा ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (स्वचालित एवं अनुमोदित भागों हेतु पृथक-पृथक) की वसूली सहित समस्त विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा तथा उसे एक समर्पित वेब पते के माध्यम से पुरालेखित करेगा।
- 9.13 **ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना :**
n वें माह के लिये ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का सूत्र निम्नानुसार है :

$$n \text{ वें माह हेतु मासिक FPPAS}(\%) = \frac{(A-B) * C * 100}{\{Z * (1 - \text{वितरण हानियां प्रतिशत में} / 100)\} * ABR}$$

जहां "n" वें माह से अभिप्रेत वह माह है, जिसमें ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार घटक की बिलिंग की जाती है। यह ईंधन और विद्युत क्रय

समायोजन अधिभार (n-2) वें माह में प्रदाय की गई विद्युत के लिये ईंधन और विद्युत क्रय लागत में बदलाव के कारण लगाया गया है ;

"A" समस्त-स्रोतों से (n-2) वें माह में क्रय की गई यूनिट (kWh) है जिनमें दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि एवं लघु-अवधि विद्युत क्रय (जो वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को जारी किये गये देयकों से प्राप्त की जाएगी) सम्मिलित है ;

"B" (n-2) वें माह में सभी स्रोतों से प्राप्त की गई विद्युत ("A" के अनुसार) में से किया गया थोक विक्रय है (kWh में) –(जिसे प्रत्येक माह में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किये जाने वाले अनंतिम खातों से प्राप्त किया जाएगा);

"C" वृद्धिशील (incremental) औसत विद्युत क्रय लागत (रूपये प्रति यूनिट) = "D-E"

"D" = (n-2) वें महीने में (A-B) यूनिटों की खरीद के लिए वास्तविक औसत बिजली खरीद लागत (गणना द्वारा)

"E" = अनुमानित औसत बिजली खरीद सभी स्रोतों से (रूपये/यूनिट) (टैरिफ आदेश से)

{टिप **"D"** = ("A" की बिजली खरीद लागत – "B" की बिजली बिक्री से आय) / (A-B)}

"Z" = [{"(n-2) वें माह में राज्य के बाहर सभी स्रोतों से क्रय की गई वास्तविक विद्युत (kWh में)* (1- प्रतिशत में अन्तरराज्यीय पारेषण हानियां/100)+ राज्य के सभी स्रोतों से क्रय की गई विद्युत (kWh में)}* (1-प्रतिशत में राज्यान्तरिक हानियां/100)-B] (kWh में)

"ABR" = वर्ष हेतु औसत बिलिंग दर (टैरिफ आदेश से लिया जाएगा) रूप/(kWh में)

"वितरण हानियां" (प्रतिशत में)=मानदण्डीय वितरण हानियां विनियम 26.1 की तालिका में दर्शायेनुसार

"अन्तर-राज्यीय पारेषण हानियां (प्रतिशत में)"= (टैरिफ आदेशानुसार)

- 9.14 विद्युत क्रय लागत में विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (Deviation Settlement Mechanism) के कारण कोई प्रभार सम्मिलित नहीं किये जाएंगे।
- 9.15 अन्य प्रभार जिनमें सहायक सेवाएं (Ancillary Services) तथा सुरक्षा सीमाबद्ध आर्थिक प्रेषण (Security Constrained Economic Despatch) सम्मिलित हैं, को ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा इन्हें आयोग द्वारा सामान्य विद्युत-दर (टैरिफ) के सत्यापन माध्यम से समायोजित किया जाएगा।
- 9.16 विद्युत क्रय लागत में अनुपूरक देयकों (Supplementary Bills) के माध्यम से बिल किये गये प्रभारों को शामिल नहीं किया जाएगा एवं अनुपूरक देयक विवरण के साथ, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्य विद्युत-दर (टैरिफ) की सत्यापन याचिका के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

4. विनियम 47 में संशोधन

मूल विनियमों में विद्यमान विनियम 47 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए :

“किसी उपभोक्ता, जो समय-समय पर यथासंशोधित (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबन्धन एवं शर्तों) विनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किसी विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अन्तर्गत अवस्थित है, को आयोग द्वारा अवधारित प्रति अनुदान अधिभार का भुगतान करना होगा :

परन्तु यह कि आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आयोग द्वारा अवधारित अधिभार विद्युत प्रदाय की औसत लागत के बीस प्रतिशत से अधिक न होगा।”

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तों तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 में प्रथम संशोधन {एआरजी-35(III)(i), वर्ष विनियम, 2023} के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पांडा, सचिव.

No. 599 / MPERC 2023: In exercise of powers conferred under Section 181(2)(zd) read with Sections 45 and 61 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission makes the following Regulations to amend Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) Regulations, 2021 {RG-35(III) of 2021} herein after referred to as “the Principal Regulations” namely :-

First Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) (1st Amendment) Regulations, 2021{ARG-35(III)(i) of 2023}

1. Short title and commencement

- 1.1. These Regulations shall be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) (1st Amendment) Regulations, 2021{ARG-35(III)(i) of 2023}
- 1.2. These Regulations shall extend to the whole of Madhya Pradesh
- 1.3. These Regulations shall be in force from date of notification of these Regulations till 31st March 2027.

2. Amendment to Regulation 4

In Principal Regulations, under Regulation 4 “Definitions” the following definition shall be inserted:

(ze) (A) “Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge(FPPAS)” shall mean the increase in cost of power, supplied to consumers, due to change in Fuel cost and power purchase cost with reference to cost of supply approved by the Commission.

3. Amendment to Regulation 9

In Principal Regulations, Regulation 9 shall be substituted as follows:

9.1 The Fuel and power purchase adjustment surcharge (FPPAS) formula has been specified in terms of Section 62(4) of the Act.

9.2 Fuel and power purchase adjustment surcharge shall be calculated and billed to consumers, automatically, without going through regulatory approval process, on a monthly basis, according to the formula, specified by the Commission, subject to true up, on an annual basis:

Provided that the automatic pass through shall be adjusted for monthly billing in accordance with these Regulations :

Provided also that the Distribution Licensee shall submit the necessary details with relevant documents within 7 days of FPPAS computation on monthly basis for information to the Commission which may call for additional information as and when required.

9.3 Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge shall be computed and charged by the Distribution Licensee, in $(n + 2)^{th}$ month, on the basis of actual variation, in cost of fuel and power purchase for the power procured during the n^{th} month. For example, the fuel and power purchase adjustment surcharge on account of changes in tariff for power supplied during the month of April of any financial year shall be computed and billed in the month of June of the same financial year:

Provided that in case the Distribution Licensee fails to compute and charge fuel and power purchase adjustment surcharge within this time line, except in case of any force majeure condition, its right for recovery of costs on account of fuel and power purchase adjustment surcharge shall be forfeited and, in such cases, the right to recover the fuel and power purchase adjustment surcharge determined during true-up shall also be forfeited.

9.4 The Distribution Licensee may decide, fuel and power purchase adjustment surcharge or a part thereof, to be carried forward to the subsequent month in order to avoid any tariff shock to consumers, but the carry forward of fuel and power purchase adjustment surcharge shall not exceed a maximum duration of two months and such carry forward shall only be applicable, if the total fuel and power purchase adjustment surcharge for a Billing Month, including any carry forward of fuel and power purchase adjustment surcharge over the previous month exceeds twenty per cent of Energy charge of approved tariff.

9.5 The carry forward shall be recovered within one year or before the next tariff cycle whichever is earlier and the money recovered through fuel and power purchase adjustment surcharge

shall first be accounted towards the oldest carry forward portion of the fuel and power purchase adjustment surcharge followed by the subsequent month.

9.6 In case of carry forward of fuel and power purchase adjustment surcharge, the carrying cost at the base rate plus one hundred and fifty basis points shall be allowed till the same is recovered through tariff and this carrying cost shall be trued up in the year under consideration.

9.7 Depending upon quantum of fuel and power purchase adjustment surcharge, the automatic pass through shall be adjusted in such a manner that,

(i) If fuel and power purchase adjustment surcharge is up to 5%, 100% cost recoverable of computed fuel and power purchase adjustment surcharge by Distribution Licensee shall be levied automatically using the formula.

(ii) If fuel and power purchase adjustment surcharge exceeds 5%, 5% fuel and power purchase adjustment surcharge shall be recoverable automatically as per Sub-Regulation 9.7(i) above. 90% of the balance fuel and power purchase adjustment surcharge shall be recoverable automatically using the formula and the differential claim shall be recoverable after approval by the Commission during true up.

9.8 The revenue recovered on account of pass-through fuel and power purchase adjustment surcharge by the Distribution Licensee, shall be trued up later for the year under consideration and the true up for any financial year shall be completed by 30th June of the next year.

9.9 In case of excess revenue recovered for the year against the fuel and power purchase adjustment surcharge, the same shall be recovered from the licensee at the time of true up along with its carrying cost to be charged at 1.20 times of the carrying cost rate approved by the Commission and the under recovery of fuel and power purchase adjustment surcharge shall be allowed during true up, to be billed along with the automatic Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge amount.

Explanation:-For example in the month of July, the automatic pass through component for the power supplied in May and additional Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge, if any, recoverable after true up for the month of April in the previous year, shall be billed.

9.10 The Distribution Licensee shall submit such details, in the stipulated formats, of the variation between expenses incurred and the fuel and power purchase adjustment surcharge recovered,

and the detailed computations and supporting documents, as required by the Commission, during true up of the normal tariff.

- 9.11 To ensure smooth implementation of the fuel and power purchase adjustment surcharge mechanism and its recovery, the distribution licensee shall ensure that its billing system is updated to take this into account and a unified billing system shall be implemented to ensure that there is a uniform billing system irrespective of the billing and metering vendor through interoperability or use of open-source software as available.
- 9.12 The Distribution Licensee shall publish all details including the fuel and power purchase adjustment surcharge formula, calculation of monthly fuel and power purchase adjustment surcharge and recovery of fuel and power purchase adjustment surcharge (separately for automatic and approved portions) on its website and archive the same through a dedicated web address.
- 9.13 **Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge:** The formula for Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) for n^{th} month is as follows:

$$\text{Monthly FPPAS for } n^{\text{th}} \text{ Month (\%)} = \frac{(A-B)*C}{\left\{Z \left(1 - \frac{\text{Distribution losses in \%}}{100}\right)\right\} * ABR} * 100$$

Where,

“ n^{th} ” month means the month in which billing of fuel and power purchase adjustment surcharge component is done. This fuel and power purchase adjustment surcharge is due to changes in fuel and power purchase cost for the power supplied in $(n - 2)^{\text{th}}$ month;

A is total units procured from all sources in $(n - 2)^{\text{th}}$ Month (in kWh) including Long-term, Medium-term and Short-term Power purchases (To be taken from the bills issued to Distribution Licensees);

B is bulk sale of power out of total units procured (as per A) in $(n - 2)^{\text{th}}$ Month (in kWh) = (to be taken from provisional accounts to be issued by State Load Dispatch Centre in each month);

C is incremental Average Power Purchase Cost in Rs/kWh= D – E

D is Actual average Power Purchase Cost (PPC) for procurement of A-B units in $(n - 2)^{\text{th}}$ month (Rs./kWh) (computed)

E is Projected Average Power Purchase Cost (PPC) from all Sources (Rs. /kWh) (from Retail Supply Tariff Order of respective year);

(Note: $D = (\text{Power purchase cost of A} - \text{Income from power sale of B}) / (A - B)$)

$Z = [\{\text{Actual Power purchased from all the sources outside the State in } (n - 2)^{\text{th}} \text{ Month (in kWh)} * (1 - \text{Inter-state transmission losses in \% /100}) + \text{Actual Power purchased from all the sources within the State (in kWh)}\} * (1 - \text{Intra-state losses in \% /100}) - B]$ in kWh

ABR = Average Billing Rate for the year (to be taken from the Tariff Order in Rs/kWh)

Distribution Losses (in %) = Normative Distribution Losses as given in table under Regulation 26.1.

Inter-state Transmission Losses (in %) = As per Tariff Order.

- 9.14 The Power Purchase Cost shall exclude any charges on account of Deviation Settlement Mechanism.
- 9.15 Other charges which include Ancillary Services and Security Constrained Economic Despatch shall not be included in Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge and shall be adjusted through the true-up of normal tariff by the Commission.
- 9.16 The power purchase cost shall exclude any charges billed through supplementary bills and that supplementary bills along with details shall be submitted by the Distribution Licensee along with true up petition of normal tariff.

4. Amendment to Regulation 47

In Principal Regulations, Regulation 47 shall be substituted as follows:

A consumer situated within the area of supply of a Distribution Licensee availing Open Access as per the provisions of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission(Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2021 as amended from time to time, shall be liable to pay Cross-Subsidy Surcharge as determined by the Commission.

Provided that the surcharge, determined by the Commission under clause (a) of sub-section (1) of section 86 of the Electricity Act,2003 shall not exceed twenty per cent of the Average Cost of Supply.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy., MPERC.